लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित सस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th LOK SABHA

DEBATES

पहला सत्र First Session





(खंड 1 में अंक 1 से 10 तक हैं Vol. I contains Nos. 1—10

लोक-सभा सचिवालय नई दिल्ली LOK SABHA SECRETARIAT NEW DELHI

मूल्य: एक रूपया

विषय-सूची/CONTENTS

अंक, 2, शूकवार, 17 मार्च, 1967 / 26 फाल्गुन, 1888 (ज्ञक) No. II—Friday, March 17, 1967 / Phalguaa 26, 1888 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
सदस्यों द्वारा शपय ग्रहण	Members sworn	19-20
ग्रघ्यक्ष का निर्वाचन	Election of Speaker	20-27
ग्रघ्यक्षका ग्रभिनन्दन	Felicitations to Speaker	26
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	26
श्री मी० रू० मसानी	Sri M. R. Masani	27
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri A. B. Vajpayee	27
श्री अंबाजागन	Shri K. Ambazhagan	27
श्री श्रीपाद अमृत डांगे	Shri S. A. Dange	27
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sevak Yadav	27
श्री अ० क० गोपालन	Shri A. K. Gopalan	28
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	28
श्री नि० चं० चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee	28
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	Shri Ebrahim Sulaiman Sait	28
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	28
श्रीफ्रेंक एन्थनी	Shri Frank Anthony	29
डा० गोविन्द दाम	Shri Govind Das	29
श्री तेन्नेटि विश्वनाथन	Shri Tenneti Viswanathan	30

लोक सभा

LOK SABHA

शुक्रवार 17 मार्च, 1967 / 26 फाल्गुन, 1888 (क्षक) Frday, March 17, 1967 / Phalguna, 26, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

सामियक प्रध्यक्ष (डा. गोविन्द वास पीठासीन हुए MR. SPEAKER Pro-tem (Dr. Govind Das) ा the Chair.

सदस्यों द्वारा शपथ प्रह्ण MEMBERS SWORN

Mr. Speaker: Secretary may please call out the names of Members who have not yet made and subscribed the oath or affirmation.

श्री नी॰ श्रीकान्तन नायर (क्विलोन): इसका अंग्रेजी में भी अनुताद किणा जाना चाहिये। प्रथा यह है कि जब अध्यक्ष की ओर से कोई बात कही जाती है तो उसका अंग्रेजी में भी अनुताद किया जाता है।

ग्राच्यक्त महोवय: मेरे विचार में सदस्य इस बात से अवगत हैं कि यहां पर हिन्दी से अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिन्दी में साथ साथ अनुवाद का प्रबन्ध है। क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि मैं स्वयं अंग्रेजी में भी यह बात कहूँ।

श्री नो॰ श्रीकान्तन नायर: अध्यक्ष से यह आशा की जाती है कि वह प्रथा तथा प्रतिष्ठा को बनाये रखेंगे जैसा कि पहले किया जाता रहा है।

प्रध्यक्ष महोदयः क्या वह चाहते हैं कि मैं अंग्रेजी में बोलूं।

श्री नी॰ श्रीकान्तन नायर: जी हां।

द्याद्यक्ष महोदयः सचिव उन सदस्यों के नाम पुकारें, जिन्होंने अभी तक शपथ नहीं ली है अथवा प्रतिज्ञान नहीं किया है।

श्री कोत्ता रघ्नुरामैया (ग्रुन्टूर) [अग्रेगी] श्री लाखन लाल कपूर (किशनगंज) [हिन्दी]

^{*}सदस्य के नाम के आगे दी गई भाषा इस बात की द्योतक है कि सस्दय ने उसी भाषा में शपय ली थी।

The language shown against the name of a Member indicates that he took oath in that language.

श्री विरेन्द्र कुमार जीवन लाल शाह (जूनागढ़) [हिन्दी]
श्री पी॰ के॰ वासुदेवन नायर (पीरमेड) [मलगालम]
श्री बी॰ सांबशिवम (नागापट्टीनम) [तामिल]
श्री श्री निवास मिश्र (कटक) [उड़िया]
श्री भोलानाथ (अलवर) [हिन्दी]
श्री अशोक कुमार सेन (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) [ग्रग्रेजी]
श्री एम॰ एल॰ सोंधी (नई दिल्ली) [संस्कृत]
श्री फेंक एन्थनी (नाम निर्देशित-आंग्ल भारतीय) [ग्रंग्रेजी]

अध्यत्त का निर्वाचन ELECTION OF SPEAKER

Mr. Speaker: Dr. Ram Subhag Singh may now moue the mo on which stands in his name.

डा॰ राम सुभग सिंह अब अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें जो उनके नाम में है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) I rise on a point of Order (अन्तर्वाधारें) The Fourth Lok Sabha should not start its proceedings without a point of order.

Keeping in view the parliamentary practices and procedure and also in view of developing healthy practices, Dr. Ram Subhagh Singh should not move his motion as a Minister.

According to Mr. May's Parliamentary Practice it is customary for the mover and seconder to be unofficial members so that the speaker may not be represented as the friend of the Minister but as the choice of the House.

I gave five suggestions to the Prime Minister in connection with the election of the Speaker. I suggested that whosoever might be a speaker, and which ever party he might be bee longing to, once elected he must resign from the membership of the party. I also suggested that if the Speaker chooses to contest the elections for the Fifth Lok Sabha the opposition parties would not put up their candidate against him. He should return to the Fifth Lok Sabha as an unopposed and independent candidate. If on the other hand he choose to retire, be should be given a pension of not more than one thousand rupees per month. The Hon. Prime Minister turned a deaf ear to my suggestions and under the pressure of the party politics within the Congress has named Mr. Sanjiva Reddy for Speakership. My objection is that even if they have decided to name Shri Sanjiva Reddy for speaker-ship motion in this regard should have been moved by some unofficial Member and not by a Minister.

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Ram Subhag Singh): According to Rule 7(2) of the Rules of Procedure and conduct of Business at any time before noon on the day preceding the date so fixed, any member may give notice in writing, addressed to the Secretary, of a motion that another member be chosed as the Speaker of the House....." Accordingly I am moving the motion.

Shri Madhu Limaye: The Hon. Speaker, pro-tem has yet to give his decision.

^{*}सदस्य के नाम के आग दी गई भाषा इस बात की द्यातक है कि सदस्य ने उसी भाषा में शिपथ ली थी।

The language shown against the name of a Member indicates that he took oath in that language.

Mr. Speaker: It is clearly provided in Rule 7 that any member can move the motion. If a Member happens to be a Minister that does not preclude him from moving the motion because he remains very much a member also

Shri Madhu Limaye: Sardar Hukam Singh has repeated many times in his rulings that in the House Ministers cannot be considered as Members.

Mr. Speaker: In accordance with Rule 7 Shri Ram Subhag Singh may now move his motion.

Dr. Ram Subhag Singh : I move :

"That Sri N. Sanjiva Reddy, a Member of this House, be chosen as the Speaker of this House"

मैं प्रस्ताव करता हैं:

"िक श्री नीलम संजीव रेडडी को, जो इस सभा के सदस्य हैं, इस सभा का अध्यक्ष चुना जाये।"

The Minister of State in the Ministry of Finance. (Shri K. C. Pant): I second the motion.

मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हैं।

Mr. Speaker: Motion Moved:

"That Shri N. Sanjiva Reddy, a Member of this House, be chosen as the Speaker of this House"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"िक श्री नीलम संजीव रेडडी को, जो इस सभा के सदस्य हैं, इस सभा का अध्यक्ष चुना जाये।"

श्री नारायण वांडेकर (जामनगर): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"िक श्री तेन्नेटि विश्वनायन को, जो इस सभा के सदस्य हैं, इस सभा का अध्यक्ष चुना जाये।"

श्री सुरेन्द्र नाथ दिवेदी (केन्द्रपाड़ा): अध्यक्ष महोदय मैं इसका अनुमोदन करता हूँ।

Mr. Speaker: Motion Moved:

"That Sri Tenneti Vishwanathan, a Member of this House, be chosen as the Speaker of this House."

Shri Madhu Limaye: Please follow the rules. All the motions will come before the House.

Mr. Speaker: I will call all movers to move the motions.

श्री श्रीपाद प्रमृत डांगे (बम्बई केन्द्रीय दक्षिएा): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"िक श्री तेन्नेटि विश्वनाथन को, जो इस सभा के सदस्य हैं, इस सभा का अध्यक्ष चुना जाये।":

थी इन्दू लाल याज्ञिक (अहमदाबाद): मैं इसका अनुमोदन करता हूँ।

Mr. Speaker: Motion Moved:

"That Shri Tenneti Vishwanathan, a Member of this House, be chosen as the Speaker of this House."

श्री पी॰ राममूर्ती (शिवकासी): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि श्री तेन्नेटि विश्वनायन को, जो इस सभा के सदस्य हैं, इस सभा का अध्यक्ष चुना जाये।"

श्री त्रिविव कुमार चौषरी (बरहामपुर): मैं इसका अनुमोदन करता हूँ।

Mr. Speaker: Motion moved:

That Shri Tenneti Vishwanathan, a Member of this House, be chosen as the speaker of the House.

Shri Madhu Limaye : I move :

"That Shri Tenneti Vishwanathan, a Member of this House, be chosen as the Speaker of this House."

श्री प्र० क० गोपालन (कासरगोड): मैं इसका अनुमोदन करता हैं।

Mr. Speaker: Motion moved:

"That Shri Tenneti Vishwanathan, a Member of this House, be chosen as the Speaker of this House."

Shri Atal Behari Vajapayee (Balrampur) : I move :

"That Shri Tenneti Vishwanathan, a Member of this House, be chosen as the speaker of this House."

Shri Balraj Madhok (Delhi-South) I second the motion.

Mr. Speaker : Motion moved :

"That Sri Tenneti Vishwanathan, a Member of this House, be chosen as the speaker of this House."

Shri Bhanu Prakash Singh is not present in the House. Therefore his motion is not moved.

Two names are now before the House viz. Shri N. Sanjiva Reddy and Sri Tenneti Vishwanathan. The first motion stands in the name of Sri Sanjiva Reddy. Those in favour....

Shri Madhu Limaye: I rise on a point of order before the motions are put to vote. Under Rules 388 and 184 I gave notices for two motions before ten O'clock that sub-rules (3) and (4) of Rule 7 of the Rules of Procedure, in their application to the motion moved by Dr. Ram Subhag Singh, be suspended and voting for the election of the Speaker be taken by secret ballot. The said subrules read as follows:

- (३) कार्य सूची मे जिस सदस्य के नाम में कोई प्रस्ताव हो वह, पुकारे जाने पर, प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा या प्रस्ताव वापस ले सकेगा, और अपना कथन उस बात तक ही सीमित रखेगा।
- (४) जो प्रस्ताव प्रस्तुत तथा विधिक्त अनुमोदित हो गये हों वे एक-एक करके उसी कम में रखे जायेंगे जिसमें कि वे प्रस्तुत किये गये हों और, यदि आवश्यक हुआ तो विभाजन द्वारा, विनिश्चित किये जायेंगे"

In case the first motion is not carried the question of second one does not arise. I, therefore request you to allow me to move the motion.

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj): Under the Constitution of India, President and Speaker of Lok Sabha have been given special position. Special rules exist for the election of both of them. Speaker cannot be removed from his office with stender majority. I would therefore like to suggest that Members may be given free hand in the election of the Speaker. Party and other pressures should not be put on them so that they may elect a speaker of their choice. That will help in running the business of the House smoothly. I, therefore, also support the view of secret ballot.

Mr. Speaker: Speaker has never been chosen through secret ballot before or after independence. In the circumstances, I disallow the motion of Shri Madhu Limaye.

Shri Madhu Limaye: That is why I have demanded the suspension of the rule.

श्री स॰ मो॰ बनर्जी (कानपुर): श्रीमान, मैं आपका ध्यान नियम ३८८ की ओर दिलाना चाहता हैं जो इस प्रकार है:

"कोई सदस्य, अध्यक्ष की अनुमित से, प्रस्ताव कर सकेगा कि सभा के समक्ष किमी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो वह प्रांसगिक नियम उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जायेगा।"

इसके लिए सूचना 10 म० पू० को दी जा चुकी है और यह नियमों के अन्तर्गत ग्रह्म है।

Mr. Speaker: The hon. Member is repeating the same question. The rule clearty provides for the consent of the Speaker. I have clearly stated that I am not allowing the motion moved by Shri Madhu Limaye.

श्री सुरेन्द्रनाय द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): प्रस्ताव नियम के निलम्बन के लिए है। यह उचित होगा कि इसके लिए गुप्त मतदान कराया जाये। इस प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखना ही होगा।

Mr. Speaker: Rule 388 clearly provides that the consent of the Speaker is necessary for the suspension of any rule. I have not given permission to move this motion.

Shri Madhu Limaye: Whenever the ministers want, the rules are suspended but when the member of opposition want such a suspension, it is not allowed. It is not a good start of the Fourth Lok Sabha. Will the proceedings of the House be carried on like this.

श्री रराषीर सिंह (रोहतक): माननीय सदस्य सभा का अवमान कर रहे हैं। (Interruptions)

Mr. Speaker: I have not allowed Shri Madhu Limaye to move the motion for suspension of the rule and such a motion cannot be brought without my consent.

Shri Shiopujan Shastri: (Vikram Ganj) The motion could be moved only after your consent. You should put it to the vote of the house.

Mr. Speaker: I have not allowed it to be moved. I have only allowed him to say whatever he wants to say in accordance with rule 184. I have, however, clearly stated that I do not allow the motion to be moved.

Shri Madhu Limaye: You have become the Speaker for one day and you are going according to your whims.

Mr. Speaker. I am not giving a ruling. I am only exercising my right and I am not allowing you to move the motion (Interruptions).

I now put the first motion to the vote of the House. The question is:

"That Shri N. Sanjiva Reddy, a member of this House, be chosen the Speaker of the House."

Those in favour will say, "Aye". Those against will say "No". (Interruptions).

श्री सुरेन्द्रनाय द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): मैं आप से एक निवेदन वरना चाहता हूँ। आपने अपना विनिर्णय एक पूर्व उदाहरण के आधार पर दिया है। परन्तु नये उदाहरण बनाना कोई बुरी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय सभा के रक्षक होते हैं। अब एक पक्ष के सदस्य को अध्यक्ष बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। यदि मतदान गोपनीय नहीं होगा तो यह माखूम हो जायेगा कि किस किस ने किस के विरुद्ध मत दिया है और अध्यक्ष चुने जाने पर उन की उस विशेष सदस्य के बारे में दुर्भावना हो सकती है। यद्यपि मुझे आशा है कि ऐसा नहीं होगा। इस लिए मेरा निवेदन है कि इस अवसर पर मतदान गुप्त रखा जाये।

श्री ग्र० क० गोपालन (केसरगोड) : मेरा आप से निवेदन है कि इस प्रकार की शुक्वात न की जाये। आज बहुमत होने के कारण वे कोई भी प्रस्ताव रद्द करा सकते हैं। परन्तु उन्हें इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिये। इस पर मतदान कराया जाना चाहिये। याद प्रस्ताव बहुमत द्वारा रद्द करा दिया जाये तो हम इसे स्वीकार करेंगे। परन्तु यदि मतदान ही न कराया गया तो यह अच्छा आरम्भ नहीं होगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee. (Balrampur): According to rules, you have a right to allow or disallow a motion moved by Shri Madhu Limaye or not. You have exercised the right and you have cited old precedents. I want healthy traditions to be created in this House. But the way the name has been moved for the office of the Speaker and the way another name was proposed by the Congress party, it does not give a proof of the desire of the Congress party for such healthy traditions.

Mr. Speaker: His name was not moved here. The mover was not present. No objection can, therefore, be made regarding that name.

Shri Atal Bihari Vajpayee: I am not objecting to it. But it cannot be denied that the names of two Congressmen appear on the order paper.

Mr. Speaker: The names may appear on a paper. The mover was absent. Therefore there is only one name and it is that of Shri Sanjiva Reddy.

Shri Atal Bihari Vajpayee: This lends weight to the demand of secret voting. It is not an unreasonable demand. If the Congress party does not doubt its members, why does it not agree to secret ballot.

श्री रराधीर सिंह (रोहत क): मतदान के समय इस चर्चा की अनुमति कैसे दी जा सकती है ?

An hon. Member: Is it proper to raise a point of order when discussion is going on.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय पर चर्चा की जा सकती है ?

Shri Manibhai Jawal Bhai Patel: (Damoh): How long will it be allowed like that when you have already given a ruling on this and you have also explained it.

Shri Abdul Ghani (Gurgaon): You should follow the teachings of Gandhiji. You belong to a party. An impartial person should preside so that no injustice is done to the opposition.

Shri Madhu Limaye: My third point of order relates to the discussion before voting.

Shri Mahadeo Prasad: (Maharajganj): My point of order relates to the raising of points of order.

Mr. Speaker: This question is being repeated. I have not allowed the suspension of this rule. The que tion of secret voting, therefore, does not arise.

Shri Madhu Limaye: My point does not relate to voting. It has been given on page 284 of May's Parliamentary Practice that:

"If another Member be paoposed, a similar motion is made and seconded in regard to him; and both the candidates address themselves to the House."

I want that Shri Sanjiva Reddy should address the House (Interruptions). Thereafter, our candidate will address the House. They should prove their suitability for the office of the Speaker.

Mr. Speaker: After independence we have framed our rules and established our own conventions. We have no such convention or rule as has been suggested by Shri Madhu Limaye. I, therefore, put the first motion to the vote of the House.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki). There should be new conventions, (Interruptions)

Shri Ram Manohar Lohia (Kannauj): If old conventions create any hinderance in the way of the functioning of Parliament they may not be started. But there is nothing in the old conventions which comes in the way of new conventions. I appeal to you to consider this.

Shri Ram Sewak Yadav: I believe that a person of your calibre will establish new conventions. I agree with the views expressed by Shri Limaye that both the nominees for the speakership should throw light on their skill. So far present rules are concerned, they do not stand in our establishing new healthy conventions. I do not find any basis why Congress benches should not agree with us.

Shri Abdul Ghani. I would request that Shri Sanjiva Reddy should come forward and convince us as to how he will be in a position to win confidence of Ruling as well as opposition parties in the house. There is every possibility of opposition being convinced that Shri Reddy may honour the Chair. In case Shri Reddy feels that he will not be in a position to do full justice to his new assignment, he should be frank in confessing the same and in that case Shri Viswanathan may be asked to assure the house that he will rise above his party interests and will do full justice to his new assignment.

श्री पी॰ रामपूर्ति (मदुरें): सभा के सामने यह एक कठिन समस्या है। जो सदस्य श्री संजीव रेड्डी और श्रो तेन्नेटि विश्वानाथन के आसपास के रहने वाले नहीं हैं, वे उन दोनों के विषय में कुछ नहीं जानते। अध्यक्ष का पद एक महत्वपूर्ण पद है। इस सम्बन्ध में अपनी राय प्रकट करने के लिए यह आवश्यक है कि नये सदस्यों को दोनों प्रत्याशियों के बारे में पूरी जानकारी हो। इस लिए मेरे विचार में दोनों प्रत्याशियों को सभा के समक्ष अपनी योग्यता बतानी चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): मैं श्री मधु लिमये से पूर्णंतया सहमत हूँ कि स्वस्थ परम्पराओं की स्थापना होनी चाहिए। मेरे विचार में श्री संजीव रेड्डी को सभा के सामने आकर अपनी योग्यता बताने में कोई हिचिकचाहट नहीं होनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि यह संजीव रेड्डी कौन हैं? मैं पिछली लोक सभा का सदस्य था। मैंने पहले सत्र में एक संजीव रेड्डी के आचरण की सभा में चर्चा की थी जो कांग्रेस के सदस्य थे परन्तु उन का श्राचरण बिल्कुल शुद्ध नहीं कहा जा सकता था। यदि यह वहीं संजीव रेड्डी हैं तो मैं उनके पक्ष में अपना मत नहीं डालूंगा। इसलिए मेरे विचार में दोनों प्रत्याशियों को सभा में अपने विचार व्यक्त करने चाहिए।

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई): जो व्यक्ति अभी निर्वाचित होने हैं उन पर आक्षेप करना उचित नहीं। क्या ऐसा करना उचित है ?

भी स॰ मो॰ बनर्जी: क्या आक्षेप है ?

श्री मोरारजी देसाई: जो आक्षेप अभी अभी किए गए हैं मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। मेरे विचार में यह उचित नहीं होगा कि इस ऊँचे पद के प्रत्याशी पहले इस सभा में अपने विषय में कुछ बोले और फिर उस पर बहस हो। मैं यह व्यवस्था का प्रकृत इसिलए उठारहा हूँ कि इस तरह हमें इस प्रकार से विवाद नहीं चलाए रखना चाहिए जबकि अध्यक्ष महोदय ने पहले ही इसे अस्वीकार कर दिया है।

Mr. Speaker.: I agree with the views expressed by Shri Morarji Desai in his point of order. I have therefore disallowed this motion. I do not consider it proper that Shri Sanjeeva Reddy and Shri T. Vishwanathan should address the house. I have allowed maximum number of members to speak simply because this house is meeting for the first time.

I will now put first motion to the vote of House.

The question is:

"That Shri N. Sanjeeva Reddy, who is a member of this house may be elected as the speaker of this House."

Let the lobbies be cleared.

Now I will explain you the system in which voting will take place. As names of Hon'ble members have not been written on their seats, voting cannot be held by using Automatic Vote Recording Equipment. Therefore the system is that Hon'ble members will get slips with marking of "Ayes" or "Noes" according to their choice. The Hon'ble members will record their vote by writing their names clearly below their signatures at the prescribed space in the slip-form. Immediately after recording his vote, each member should pass on his slip either by himself or through the Division clerk who will call upon his seat after distribution of the slips to the officers at the Table.

सदस्यों को उनका मत रिकार्ड करने के लिए "हां" अथवा "ना" की छपी परियों में से, जो भी वे लेना चाहें, उनके स्थान पर दी जाएगी। इन पर्वियों पर सदस्य, पर्ची फार्म पर निश्चित स्थानो पर, अपने हस्ताक्षरों के नीचे अपने नाम साफ-साफ लिखे कर अपने मत रिकार्ड करेंगे। अपना मत रिकार्ड करने के तुरन्त परचात प्रत्येक सदस्य अपनी पर्ची को स्थयं अथवा उस मत-विभाजन क्लक के जरिये, जो पर्चियां देने के परचात उनके स्थान पर जायेगा, सभापटल के निकट बैठे अधिकारियों को देगा।

Before I announce the result of voting, I want to know if all the hon. Members have cast their votes. I take that all hon. Members have cast their votes. The result is 'ayes': 278 and 'Noes': 207. Therefore Shri N. Sanjiva Reddy is declared as Speaker. (Interruptions).

'हां' वालों के पक्ष में २७८ सदस्य हैं और 'न' वालों के पक्ष में २५७ सदस्य हैं। इस लिए श्री एन० मंजीव रेड्डी इस मदन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

[प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गःधी तथा श्री मी० रू० मसानी श्री संजीव रेड्डी को भ्रष्ट्यक्ष पीठ तक लेगये।

Shri N. Sanjiva Reddy was Conducted to the Chair by the Prime Minister (Shrimati Indira Gandhi) and Shri M. R. Masani.]

श्रध्यत्त का श्रभिनन्दन FELITATIONS TO THE SPEAKER

प्रध्यक्ष महोदय श्री संजीव रेड्डी पीठासीन हुए MR. SPEAKER (Shri N. Sanjiva Reddy) in the Char.

प्रवानमंत्री तथा सभा की नेता (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) हमें विश्व की एक महान संसद के सदस्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है । सभा के अध्यक्ष की पद बहुत महत्व रखता है। अध्यक्ष महोदय को सभा की गरिमा तथा शक्तियों का संग्क्षक माना जाता है। वह सभा का केवल कार्य संचालन ही नहीं करते अपितु प्रत्येक माननीय सदस्य के विशेषाधिकारों का ध्यान रखते हैं। अध्यक्ष महोदय का दर्जा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान है। अध्यक्ष को सदै। बहुत सतर्कता से काम करना होता है और सभा में निष्पक्षता से कार्य करते हुए अनुशासन का भी ध्यान रखना होता है। हम सब सदस्यों को आप को पूरा-पूरा सहयोग देना चाहिये। हमारा दल चाहता है कि अध्यक्ष को राजनैतिक दलों से सम्बन्ध गोड़ लेना चाहिये।

सभा की ओर से मैं आप का अभिनन्दन करती हूँ और आपके कठिन एवं भारी कर्तं व्यों के नेभाने में आप को सहयोग का वचन देती हूं।

खी भी॰ रू॰ मसानी (राजकोट): श्रीमान मैं सभा के नेता द्वारा प्रकट किये गये वचारों से सहमत हूं। खेद की बात है कि आपके निर्वाचन को विवाद का विषय बनाया गया है। ादि हमारे सुझाव पर विचार होता तो यह अप्रिय बातें न होतीं। उन्हें हमें भूल जाना चाहिये।

जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है अब अ। पि किसी विशेष दल से सम्बिधत नहीं हैं। अब तो प्राप समस्त सभा के अधिकारों के संरक्षक हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सरकार तथा प्रतिपक्ष वालों के बीच निष्पक्षता से कार्य करेंगे और किसी को शिकायत नहीं होगी और अपने पूर्व अधिकारियों द्वारा स्थापित की गई स्वस्थ परम्पराओं को बनाये रखेंगे। अपने दल की ओर से मैं आप को पूरे सहयोग का आश्वासन देता हूं।

Shri Atal Beharee Vajpayee (Balrampur): Sir, the incumbent of this high office is supposed to do justice to all. The fourth general elections have brought about a revolution. The monoply of the ruling party has come to an end. The people have expressed their opinion in a clear and unequivocal terms. It is essential that the feelings of the masses are truely respected in this House. You will have to safeguard the rights of Members as enshrined in our Constitution.

It would have been very good, if your election had taken place in a unanimous manner. It seems Congress Party has not learnt a lesson from this election. We expect from you nothing but justice. We hope Congress Party will extend its full cooperation in this House.

श्री के अंभाजागन (तिस्चेंगोड): मुझे आपको बधाई देते हुए हर्ष है। यदि सत्तारूढ़ दल चाहता तो यह मुकाबला नहीं होता। द्राविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से मैं आपको पूरे सहयोग का आक्वासन देता हूं। आप बहुत वर्षों से राजनीति में हैं और मंत्री भी रहे हैं। इस प्रकार आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं। मुझे आशा है कि आप इस महान पद के सम्मान और गरिमा को यथापूर्व बनाये रखेंगे और इस देश में गणतन्त्र के लिये उचित मार्गदर्शन करेंगे।

अब आप किसी दल से सम्बंधित नहीं हैं। अब हम सब को आपका आदेश मानना होगा। परन्तु आपको भी किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करना होगा। अब सत्तारूढ़ दल का बहुमत बहुत कम हो गया है। इसल्यि अब विरोधी दल की बात की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री श्रीपद प्रमृत हांगे (बम्बई मध्य दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, साम्यवादी दल की ओर से मैं आप के निर्वाचन पर बधाई देता हूं। इस सभा की रचना निश्चय ही पहले की परम्पराओं से भिन्न है। अतः पिछली परम्पराओं को मार्गदर्शक नहीं बनाया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप नई और लोकतन्त्रात्मक परम्पराएं स्थापित करेंगे।

Shri Ram Sevak Yadav (Barabanki): I congratulate you on your election as Speaker. I

hope you will establish healthy conventions and you will contest as non-party man next time. The matters of urgent public importance will be allowed to be raised as provided in rules.

श्री श्र० क० गोपालन (केसरगोड): मैं अपने दल की ओर से कुछ कहना चाहता हूं। यदि सत्तारूढ़ दल ने विवेक से कार्य किया होता तो यह खेदजनक विवाद खड़ा नहीं होता। अध्यक्ष का चुनाव हो जाने के बाद वह किसी दल के व्यक्ति नहीं रहते। आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं और देश में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें भली प्रकार समझते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप देश की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियमों तथा विनियमों के बन्धन से ऊपर उठेंगे। आप नियमों में आवश्यक परिवर्तन करेंगे और प्रतिपक्ष की ओर से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा।

सभा में शिष्टाचार की बहुत बातें होती हैं। हमें देश की समस्याओं को घ्यान में रखना होगा और सत्तारूढ़ दल को पूरी पूरी जानकारी देनी होगी। मुक्ते आशा है कि अध्यक्ष के पद पर होते हुए आप पुरानी परम्पराओं को त्याग कर नई और स्वस्थ परम्पराएं स्थापित करेंगे। मुक्ते आशा है आप शीघ्र ही इस बारे में कार्यवाही करेंगे।

श्री सुरेन्द्र नाथ दिवेदी (केन्द्रपाड़ा): श्रीमान मैं आपके यहां पर पीठासीन होने पर आपका स्वागत करता हूं। मैं अपने दल की ओर से आपको पूरे सहयोग का आक्वासन देता हूं। आज की परिस्थितियों में अध्यक्ष के पद का बहुत महत्व है।

आप के चुनाव के बाद हमारे आप से सभी मतभेद समाप्त हो गये हैं। अब आप को निष्पक्ष ढंग से सभा की कार्यवाही का संचालन करना होगा।

श्री नि॰ चं॰ चटर्जी (बर्दवान): अध्यक्ष महोदय हम आपका स्वागत करते हैं। मुक्ते आशा है कि आप भूतपूर्व अध्यक्षों द्वारा स्थापित की गई स्वस्थ परम्पराओं को बनाये रखेंगे। अध्यक्ष के चुनाव के बारे में प्रतिपक्ष वालों की राय ली जानी चाहिये थी। मुक्ते आशा है कि आप राज-नैतिक दल से सम्बन्ध विच्छेद कर लेंगे। अब आप एशिया की सबसे बड़ी लोकतन्त्रात्मक संसद के अध्यक्ष हैं। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं और अपने सहयोग का आश्वासन देता हूं।

श्री इसाहीम मुलेमान सेट (कोजीकोड): मैं आपके अध्यक्ष चुने जाने पर आपको बधाई देता हूँ। इसमें मेरा दल अर्थात मुस्लिम लोग मेरे साथ है। मुक्ते पूरा विश्वास है कि आप सभा के सभी पक्षों के साथ न्यायोचित व्यवहार करेंगे और सभी विरोधी दल आपको पूरा पूरा सहयोग देंगे। मुझे आशा है कि आप स्वस्थ परम्पराओं को कायम रखेंगे और आपके तत्वावधान में लोक-तन्त्र फले फूलेगा। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ।

हयात ले के चली कायनात ले के चली चलो तो सारे जमाने को साथ ले के चलो

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): The democracy will be on test in India after these elections. It would have been very good if the election of Hon. Speaker were held unanimously. Anyway we should forget about this controversy. The position and status of offices of the President and Speaker are above party-politics.

Sir, you would be glad to know that the new members have shown preference for Indian languages while taking oath. It is a good trend. I assure you the cooperation of my Group of unattached members.

श्री फ्रेंक एन्यमी (नामनिर्देशित-आंग्ल भारतीय): मैं आपका निर्देलीय संसद सदस्यों की ओर से स्वागत करता हूँ। मैं सभा के विष्ट संसद सदस्यों में से एक हूं। अध्यक्ष के चुनाव के लिए मैं संघर्ष के पक्ष में नहीं था, परन्तु मेरा यह विचार इसलिए नहीं था कि संघर्ष अपने आप में कोई बुरी चीज है अपितु इस लिए कि मैंने कई ऐसे मुकाबले देखे हैं। मैंने सर्वप्रथम अध्यक्ष श्री मावलंकर जी का निर्वाचन भी देखा था। मैंने मावलंकर जी का नाम इस लिए लिया है कि वह केवल दो मतों के अन्तर से जीते थे परन्तु उन्होंने इसके बावजूद सदन में हर प्रकार से संतुलन बनाए रखा था।

मेरे मित्र, श्री मसानी ने आशा व्यक्त की कि यह मामला सर्वंसम्मति से तय हो सकता था। मैं भी ऐसा ही चाहता था। हम हाउस आफ़ कामनस की परम्परा को अभी पूरी तरह नहीं अपना सके हैं। मेरे मित्र श्री मधु लिमये के विचार में अध्यक्ष का चुनाव सर्व सम्मति से होना चाहिए। इस पद के लिए जो प्रत्याशी हो, उसका किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। परन्तु जैसे मेरे मित्र श्री गोपालन ने कहा कि हमारा देश राजनीति से अत्यधिक प्रभावित है और ऐसी अवस्था में यह आशा नहीं की जा सकती कि अध्यक्ष महोदय राजनीति से एकदम विरक्त रह सकते हैं।

मेरा यह विचार था कि अध्यक्ष तो बहुमत वाले दल से चुना जायगा परन्तु उपाध्यक्ष को विरोधी दल से लिया जायगा। इस विषय में हमारी बात प्रधान मंत्री से भी हुई थी परन्तु शायद उसमें कोई गलतफ़हमी रह गई। यदि उक्त मुझाव को मान लिया जाता और यदि बहुमत वाले दल के विचार में इस पद के लिए कोई व्यक्ति विशेष होता तो वह स्वेच्छा से उसे चुन सकता था। मुफे इस बात का पता नहीं कि क्या सरकार उपाध्यक्ष का पद विरोधी दल को देने के लिए पहले ही वचनबद्ध है। यह बहुत ही अच्छी बात है। अपना भाषण समाप्त करते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि सभा और अध्यक्ष के उच्चपद की प्रतिष्ठा को बनाये रखने का उत्तरदायित्व विरोधी दल पर अधिक है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपकी स्थिति अब भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश के समान है जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है सभा के संदर्भ में आपका पद उतना ही महत्वपूणें तथा उत्तरदायित्व पूणें है बल्कि इसका महत्व लोकतन्त्र के विकास के लिए और भी अधिक है। मेरे विचार में यह उच्चपद अर्घ न्यायिक नहीं बल्कि पूरी तरह से न्यायिक है। जैसा कि श्री बाजपेई जी ने कहा था आपने केवल न्याय ही नहीं करना है अपितु यह भी दिखायी देना चाहिये कि आप न्याय कर रहे हैं।

Dr. Govind Das (Jabalpur): Mr Speaker, I congratulate you on your election to this high office. I have the privilege to be in this House since 1923 and I have been in contact with the Speakers elected from time to time. In 1924 this Chair was occupied by Sir Fredrick White and after some time Shri Vithalbhai Patel was elected to honour this Chair. Shri T. Rangachari also contested the speakership but Shri Vithalbhai Patel was elected by a margin of two votes only. Before the achievement of freedom there was a contest between Shri Kavas Ji Jahangir and Shri Mavlankar Ji and Shri Mavlanker Ji was elected by a margin of two votes. Then came Shri Anantasyanan Ayangar and Sardar Hukam Singh and they established certain conventions. I do not consider it necessary that old conventions should continue for ever but at the same time in order to make our future we have to take into account our present and past also. We have an old culture and a very old civilisation.

We have an old and time honoured convention of democracy in our country. Before the time of Shri Mavlankar Ji, a member could speak in english only. He established a new practice by allowing the members to speak in Hindi also. On raising objections by some member he said that if the circumstances have been changed, but rules remain the same we have to overlook the rules and adjust ourselves according to the changed circumstances. Shri Prakash Vir Shastri has just now stated that the main difference between man and other creatures is that a man is blessed with thinking power while other creatures do not have it. The basis of this thinking power is language. I have visited many countries but no where I have found such love and domination for a foreign language as there is for English in India. I may emphasise that I am not against any particular language nor I am a protogainst of Hindi only. I am in favour of Hindi as much as in favour of other indian languages. In this country democracy can function only when all the business of the country is conducted in Hindi in the centre as well as in the states. Now you should forget that you are a member of Congress Party and you should treat all the parties in the house alike. Unless you are quite honest and impartial in performing your duties you will not be in a position to protect the interest of any party and yourself. The most important thing is to safeguard ones own self. While conducting the business in the house you have to satisfy your concience. I am sure that with all the experience at your command you will not allow untoward happenings in the house and I hope that opposition will also cooperate in this matter. In this way you will be able to establish healthy conventions. Before concluding once again I offer you my heartiest congratulations.

श्री तेन्नेटि विश्वानाथन (विशासापटनम) : मुझे आप को सब से पहले बधाई देने के लिए आना चाहिए था। स्पष्टतः आप परम्पराओं में बंधे रहना चाहते हैं जबिक विरोधी दल को आप से यह आशा थी कि आप इन परम्पराओं को तोड़ देंगे, परन्तु आप ने ऐसा नहीं किया। आप को मुझे सवं प्रथम बुलाना चाहिए था। हम सब आपस में मिल कर काम करने वाले हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मैं आप से छोटा हूँ बजाय इसके कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से हारता जिसे मैं बिल्कुल नहीं जानता मैं आप से पराजित हुआ हूँ।

अब आप ५० करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च विधान सभा का सभा-पितत्व कर रहे हैं। यह सभा केवल ५० करोड़ जनता की भाग्य निर्माता ही नहीं अपितु एशिया में शान्ति बनाए रखने के लिए भी इसका काफी हाथ रहता है इसलिए निश्चय ही यह बहुत ही प्रतिष्ठित पद है और इसीलिये कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को विरोधी नेताओं की मांग के विरुद्ध भी इस पद के लिये चुना है।

आपकी दायों ओर बहुमत वाला तथा सत्ताधारी दल है। और इस ओर विरोधी पक्ष है जिसमें न बहुमत है और न ही सत्ता है। आप ने सब ओर स्विविवेक से काम लेना है। हमें आशा है कि आप सत्ताधारी पक्ष से विरोधी पक्ष का अधिक ध्यान रखेंगे। उनके पास बहुमत है, सत्ता है और उन की हर प्रकार से सुनाई है। यह ठीक है कि पिछले तीन संसदों में विरोधी पक्ष की ओर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता नहीं थी। परन्तु चौथे संसद में स्थिति इसके विपरीत होगी। अब तो सरकारी पक्ष को अधिक सतर्क रहना होगा और यथा सम्भव हमारी बात को सुनना होगा क्योंकि सत्ताधारी दल को तो जनता से नित्य प्रति सम्पर्क स्थापित करने की कोई विशेष आवश्यकता अनुभव नहीं होती। परन्तु हम जनता के हरदम सम्पर्क में रहते हैं और हमें जनता की कठिनाइयों का अधिक अच्छा ज्ञान रहता है।

कुछ माननीय सबस्य : नहीं नहीं।

श्री तेम्नेढि विश्वानायन : मुझे प्रसन्नता है कि मुक्ते गलत बताया गया परन्तु

इसका प्रमाण तो भविष्य में उनके आचरण से मिलेगा। इस बात का प्रमाण तो हमें दो या तीन दिनों में ही मिन जायगा। हमारी सुरक्षा का उत्तरदायित्व आप पर है और यह सारी सभा की प्रतिष्ठा की सुरक्षा का प्रश्न है। (व्यवधान) प्रायः यह कहा जाता है कि विरोधी पक्ष में वैर्य नहीं होता परन्तु इस समय तो बहुमत वाले दल में बैर्य नहीं दिखाई देता है।

बिरोधी पक्ष में अल्पमत वाले दल की बातों पर घ्यान देना ही प्रजातंत्र की भावना का यथार्थ चिन्ह है। आप जितना विरोधी पक्ष का घ्यान रखेंगे, उतनी ही प्रजातंत्र की नीव सुद्द होगी।

चतुय संसद पर बड़ा भारी उत्तरदायित्व है। देश में अब ऐसी परिस्थितियां हैं कि इस सभा अधवा सरकार द्वारा यदि कोई भी गलत कार्यवाही की गई तो हमारी स्थिति आज से कहीं अधिक बिगड़ जायगी। अब आप ने अपने अनुभव के आधार पर सभा के दोनों पक्षों का पथ प्रदर्शन करना है। आपके पथप्रदर्शन की आवश्यकता सत्ताधारी दल को अधिक है क्योंकि उनकी विचारधारा यथार्थ से काफी दूर रहती है।

मैं एक बार फिर आप को बधाई देता हैं। कहा जाता है कि कुछ लोग जन्म से धनवान होते हैं परन्तु आप को तो आरम्भ से ही ऊँचे पदों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

मेरे बहुत से मित्र यह नहीं समझेंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। व्यक्तिगत संस्मरण के लिये मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जिस समय श्री प्रकाशम और श्री सम्बामूर्ती आपके पास आये आप उनके मुकाबले बहुत छोटे थे। वे आपको कांग्रेस में केवल सदस्य की हैसियत से नहीं बल्कि पदाधारी की हैसियत से लाये। और आप जब विधान मंडल के सदस्य बने तो शीघ्र ही आपको मन्त्री बना दिया गया। और तब से आप लगातार मन्त्री बनते रहे। जैसा की आपने कई बार कहा भी है, आपका पद हमेशा अभी तक दो वर्ष ही रहा है। किन्तु अब मैं कहूँगा कि इसके उपरान्त आप इस पद नर जमे न रहें।

मैं आपको अपनी तथा अपने दल की ओर से एक बार फिर बधाई देता हूँ। मैं आपको हर प्रकार का सहयोग देने का विश्वास दिल ता हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने स्विविवेक का हमारे पक्ष में उग्योग करेंगे।

Shri Addul Ghani: I should be given an opportunity to Speak.

श्रध्यक्ष महोदय: यदि मैंने आपको एक बार बोलन की आजा दे दी तो और दूमरे सदस्यों को इम विशेषाधिकार से वंचित करना किन हो जयेगा। अतः मैं आपमे निवेदन करूँगा कि आज के लिये मुझे क्षमा करें। सभा की अध्यक्षता का श्रेय प्रदान करने के लिये मैं माननीय सदस्यों का बहुत अभारी हूँ। और मैं सभा के नेता, विपक्षी दलों के नेता और अन्य मित्रों का भी आभारी हूँ, जिन्होंने मेरी सरहाना की। जब मैं इस उच्च पद के दायित्व व कर्त्तव्य के विषय में सोचता हूँ तो इस विचार में विचलत हो उठता हूँ कि क्या मैं यह भार पूर्ण क्षमना से निभा सकूंगा। परन्तु मेरा लोकतन्त्रात्मक विचारों में विश्वास तथा आप लोगों से सहयोग की आशा के आधार पर मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे लिये यह कार्य कठिन नहीं होगा।

लोकतन्त्रात्मक संसार के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव अभी इस देश ने देखा है। इसमें २५० करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया। यह बहुन सन्तोष की बात है कि ये चुनाव भान्तिपूर्ण तथा निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न हुए। राज्य की राष्ट्रीय एकता या निर्माण को खतरे में डाले बिना, इनसे देश की राजनीति में बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं। चुनाव परिणामों के आधार पर पुराने रवैये तथा आदतों का पुनरीक्षण करना होगा। सभा के सब पक्षों को, सभा की रोजमर्रा की समस्याओं पर अधिक दायित्व की भावना और अधिक आत्म-विश्वास से विचार करना चाहिये।

लोगों की बढ़ती हुई परिपक्कवता, हाल के चुनाव जिसके प्रतिबिम्ब हैं, अधिक से अधिक लोग हमारी सभा की कार्यवाही पर अधिक घ्यान दे रहे हैं। इसलिये, हमें जनसाघारण की आवश्यकताओं और आकंक्षाओं के प्रति अधिक जागरूक रहना होगा।

हमेशा से ही हमारा देश अपनी विभिन्न विचार घाराओं के प्रति सहिष्णुना की प्रवृति के लिये प्रसिद्ध रहा है। देश के विभिन्न भागों से विभिन्न मतों का प्रतिनिधित्व करने के लिये सुप्रसिद्ध प्रतिनिधियों की इस सभा की वर्चाओं में हमारे देश का यह महान ग्रुण परिलक्षित होना चाहिये।

संसद् की निर्वाध तथा क्षम कार्यवाही के लिये अनुशासन परम आवश्यक है। संसद् राष्ट्रीय मंच है और इसमें हमारे व्यवहार का समस्त देश पर प्रभाव पड़ता है। संसद् की प्रतिष्ठा और इतवा तथा संसदीय संस्थाओं में लोगों की आस्था बढ़ाना हमारे हाथ में है। मैं अपने आपको अपने पूर्वाधिकारियों सर्वाश्रो बिट्ठल भाई पटेल, जी० वी० मावलंकार, एम० ए० आयगर की तुलना में बहुत तुच्छ समझता हूं। वे महान अध्यक्ष हुए हैं तथा उनके द्वारा स्थापित परम्परायें हमारे देश की संसदीय लोकतन्त्रात्मक संचालन का आधार हैं। उन परम्पराओं को जारी रखना तथा उनका मान बनाये रखना सभा का विशेष दायित्व है। सभा के सब पक्षों, विशेषकर अल्प संख्यक दलों या वगों के अधिकारों की रक्षा करना अध्यक्ष का विशेष दायित्व है। मैं अपने सम्मुख यह दायित्व हमेशा रखूंगा। केवल अध्यक्ष द्वारा ही इन बातों को अपनाने से ही आवश्यक परिणाम नहीं निकलंगे। इसके साथ साथ सत्ताख्ढ़ दल तथा विरोधी दल पर भी दायित्व है कि वह अध्यक्ष द्वारा दिये गये विनिर्णयों का सदा पालन करे।

केवल आपसी सम्मान तथा सहयोग के ही आधार पर संसदीय प्रतिष्ठा स्थापित रह सकती है। मेरे पद से यह अपेक्षा की जाती है कि मैं निष्पक्ष तथा न्यायोचित ढग से कार्य संचालन कहाँ। मैं आपको आक्ष्वासन दिलाना चाहता हूँ मैं अपने पूर्वाधिकारियों द्वारा स्थापित उच्च परम्पराओं का पालन करने का भरसक प्रयत्न कहाँ॥। इसी कारण से मैं अपने दल से त्याग पत्र दे रहा हूँ, जिसका कि मैं गत 34 वर्षों से सदस्य रहा हूँ। जब तक मैं अध्यक्ष बना रहता हूँ मेरा सर्वथा यही प्रयत्न रहेगा कि इस सभा के सब पक्ष यह समझें कि मेरा किसी विशेष दल से सम्बन्ध नहीं है।

मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूर्ण क्षमता से अध्यक्ष के पद का पालन करने का प्रयास करूँगा, जो कि न केवल राष्ट्रीय हित, सभा के सब पक्षों के हितों, वरन लोकतन्त्रात्मक संस्थाओं, जो कि हमारे देश ने अपनाई है के भी हित में होगा।

आप में से बहुत से मुफ्के दूसरी ही हैसियत से जानते हैं। मैं भी आप में से बहुतों को जानता हूँ। अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि दल के सम्बन्ध को ध्यान में न रखते हुए, सभा के सब सदस्यों से आगे आवश्यक सहयोग मिलेगा। क्यों कि हम सबका मुख्य उद्देश्य और हित सभा की गरिमा बनाये रखना तथा जनता के कल्याण में वृद्धि करना है। परन्तु एक बात मैं आप से कहना पसन्द करूँगा और वह यह कि यदि किसी समय अपने कर्त्वध्य का पालन करते हुये मैंने कुछ कहा हो जो किसी सदस्य या दल को बुरा लगे तो मैं सदस्यों से निवेदन करूँगा कि वह इससे मेरे प्रति बुरी भावनायें या गलतफहमी न लायें, बल्कि स्वयं मेरे से मिलें और इस विषय पर बात करें

ताकि हम फिर से सहस्वरता पैदा कर सकें।

आप लोगों ने मेरे प्रति जो आदर प्रदर्शित किया है मैं इसके लिये आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सभा की सेवा पूर्ण निष्ठा से कह्न्या।

सभा कल 18 मार्च, 1967, राष्ट्रपति के अभिभाषण के आधा घन्टे बाद फिर समवेत होने तक स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात लोक-सभा 18 मार्च, 1967 / 27 फाल्गुन 1888 (शक) को राष्ट्रपति के स्रभिभाषण के साथा घन्टे बाद तक के लिये स्थगित हो गई।

The Lok Sabha then adjourned till half-an-hour after the conclusion of the President's Address on Saturday March 18, 1967 / Phalguna 27, 1888 (Saka).